तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8-11-२५	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। बहस समाप्त पत्रावली की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22-11-२५ हो। (हस्ताक्षर)
22-11-२५	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी ..ऐरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 50/2023
दायरा दिनांक 19.07.2023

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती मायना सिंह(RAS)

बउनवान

आशीष कुमार पुत्र लड्डू गोपाल जाति मीणा निवासी ग्रामीण बैंक के पास सुमेरगजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. किष्कन्दा बाई पत्नी रामफुल जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. कमलेश पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. किसकन्दा पत्नी मोजीराज जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. भागचन्द पुत्र मोजीराम जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. मीठालाल पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
6. मोरी पत्नी कन्हैया जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
7. राजाराम पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
8. रामफुल पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
9. रामसिंह पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
10. सन्तोषी पुत्री मोजीराम जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
11. सरदास उर्फ रूपचन्द पुत्र मोजीराम जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
12. सोसर पत्नि गोरधन जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
13. हंसराज पुत्र कन्हैया जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
14. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र कृषि भूमि पत्थरगढ़ी बाबत्
अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट
अधिवक्ताः– 1. श्री बालकिशन रायक (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अप्रार्थिगण 1 लगायत 14 अनुपस्थित

दिनांकः– २२ .11.2024

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या 140 के खसरा संख्या 554 रकबा 1.61हैक्टर वाके ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी के पूर्व में वन विभाग व पश्चिम में सिवायचक कृषि है व उत्तर में अप्रार्थी सं 2 लगायत 13 के नाम की कृषि भूमि खसरा संख्या 125 रकबा 1.15है0 व दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 557 रकबा 1.61है0 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, प्रार्थी की कृषि भूमि के दोनों तरफ अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 ने अतिक्रमण करके जमीन दबा रखी है जिससे प्रार्थी की कृषि भूमि मौके पर सिकुड गई, जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी की है उतनी भूमि मौके पर नहीं है। प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि के पडोसी काश्तकार प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या की भूमि पर अतिक्रमण कर सीमाओं को मिटाना चाहते है इस संदर्भ में प्रार्थी ने तहसीलदार की पालना में दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

.06.2023 को सीमाज्ञान भी करवाया था परन्तु उसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 के खाते व की कृषि भूमि के खसरा संख्या 554 को दबाने के बाबत् कहा तो प्रार्थी को अप्रार्थिगण लडाई झगड़ा करने पर आमादा हुये। यही प्रार्थना पत्र उत्पत्ति का कारण है जो लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न न हो तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि सुरक्षित रहे इस कारण प्रार्थी का कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कब्जो काश्त की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवावें। अन्त प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 554 रकबा 1.61हैक्टर वाके ग्राम बलवन का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी करवायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 14 तहसीलदार इन्द्रगढ़ स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा जवाब पेश प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर की। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सब क्लॉज 2 जा0दी पेश कर अप्रार्थी गोपाली बाई पत्नी गोपाल की मृत्यु हो जाने एवं उनके वारिसान कायम मुकाम राजाराम व रामफूल पिसरान गोपाल पूर्व में ही प्रार्थना पत्र पर ऑन रिकार्ड में होने से अप्रार्थी गोपाली बाई का नाम डिलिट किए जाने हेतु निवेदन किया प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र से गोपाली बाई का नाम डिलीट किया गया। अप्रार्थी सं 1 लगायत 3, 5 लगायत 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनका जवाब बंद उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमारे द्वारा पत्रावली पर प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 554 रकबा 1.61है0 वाके ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ़ प्रार्थी आशीष कुमार पुत्र लड्डूगोपाल जाति मीना की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि का दिनांक 26.06.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। हमारे मत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की कृषिभूमि ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान के खाता संख्या नया 140 खसरा संख्या 554 रकबा 1.61 हैक्टेयर का उभयपक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार नियमतः नपती कर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाकर पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)